न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 119 / 2017 राजस्व अपील

1. कैलाश पुत्र रैवड जाति मीना निवासी सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा
अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार सिकराय जिला दौसा।
रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 03.10.2017 अधिनस्थ नायब तहसीलदार उप तहसील सिकन्दरा मु.न. 669 / 2017 अ.धारा 91 रा.भू.रा. अधि.

उपस्थिति : श्री मिट्ठन लाल गुर्जर, अधिवक्ता अपीलान्ट उप0।
: राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:— निर्णय :— दिनांकः 31.01.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा ग्राम सिकन्दरा तहसील सिकराय में स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 920 रकबा 0.03 है0 पर अतिक्रमण कर लिया है तथा अतिक्रमी का भूमि पर कब्जा पश्चातवर्ती है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 03.10.2017 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम से दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 03.10.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं प्रक्रिया नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जांच किये बिना अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये व बिना पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिये बिना व बिना कोई अन्य कोई स्वतंत्र साक्ष्य लिए पटवारी हल्का की

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

रिपोर्ट को सही मानकर निर्णय पारित किया है। निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अपीलान्ट के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने से संबंधित कोई दस्तावेजात पत्रावली में उपलब्ध नही है। अपीलान्ट का किसी चरागाह भूमि पर अतिक्रमण नही है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर प्रश्नगत निर्णय खारिज फरमाया जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलाण्ट अतिक्रमी द्वारा ग्राम सिकन्दरा तहसील सिकराय में स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 920 रकबा 0.30 बीघा पर अतिक्रमण करने पर अपीलाण्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिकमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 03.10.2017 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा निवेदन किया गया की अपीलान्ट को बिना सुनवाई व सबूत का अवसर दिये ही प्रश्नगत निर्णय दिनांक 03.10.2017 अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित कर दिया गया। ऐसी स्थिति में प्रकरण नायब तहसीलदार सिकन्दरा को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा प्रकरण में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 03.10.2017 को निरस्त किया जाकर प्रकरण नायब तहसीलदार सिकन्दरा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वास्तविक अतिक्रमी को सुनवाई व सबूत का अवसर दिया जाकर विधि प्रक्रिया का पालन करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 31.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा